[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, dated 05.07.2018

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396,398,399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) **Third** Amendment Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 10.07.2018.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, after item VI relating to Fees for Removal of Names of Companies from the Registrar of Companies under section 248 (2) of the Act, in the Annexure, the following item shall inserted, namely:-

"VII. FEE FOR FILING e- Form DIR-3 KYC under rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014.

i) Fee payable till the 30th April of every financial year in respect of e-form DIR-3 KYC as at the 31st March of immediate previous year.	----
ii) Fee payable (in delayed case).	Rs.5000

Note: For the current financial (2018-2019), no fee shall be chargeable till the 31st August, 2018 and fee of Rs.5000 shall be payable on or after the 1st September, 2018"

IndiaCode

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]

05/7/18

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6	G.S.R. 435(E)	07-05-2018

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 जुलाई, 2018

सा.का.नि..... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) **तीसरा** संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम अन्यथा उपबंधित के सिवाए 10 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में, उपाबंध में मद VI के बाद, जो अधिनियम की धारा 248(2) के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों के नाम हटाने की फीस से संबंधित है, निम्नलिखित मद को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"VII. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 12क के अधीन ई-प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी फाइल करने के लिए फीस -

i)	तत्काल पूर्व वर्ष की 31 मार्च तक ई-प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक देय फीस	
ii)	देय फीस (विलंब के मामलों में)	5000 रु.

टिप्पण : वर्तमान वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए 31 अगस्त, 2018 तक कोई फीस देय नहीं होगी और 01 सितंबर, 2018 को या उसके बाद 5000 रुपये की फीस देय होगी।"।

[फा. सं. 01/16/2013 सीएल.V (पार्ट.I)]

के.वी.आर.मूर्ति
05/7/18

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम सा.का.नि. 268(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया -

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि.122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि.438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि.493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि.48(अ)	20.01.2018
6.	सा.का.नि. 435(अ)	07.05.2018

IndiaCode